न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2791–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–7–2012 पारित द्वारा तहसीलदार पंधाना जिला पूर्व निमाड खण्डवा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2010–11

बसन्तीबाई पति बिसन द्वारा आम मुख्त्यार
बिसन पिता भगवान
निवासी ग्राम पंधाना तहसील बंधाना जिला
पूर्व निमाड खंडवा म0प्र0

– – – आवेदिका

विरूद्ध

1. रामेश्वर पिता नारायण
   हाल मुकाम बल्लभदास बगीचे के पास
   जसवाड़ी रोड़ खंडवा जिला खंडवा
2. श्रीमती बरजीबाई पति शोभाराम
   निवासी ग्राम पंधाना तहसील बंधाना जिला
   पूर्व निमाड खंडवा म0प्र0

– – – अनावेदकगण

– – – – –

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदिका
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 07 जनवरी 2015)

– – – – –

यह निगरानी आवेदिका व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार पंधाना जिला पूर्व निमाड खण्डवा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 7–7–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम पंधाना स्थित खसरा नं0 39/3 रकबा 0.50 एकड़ के अंश भाग 0.15 एकड़ कृषि भूमि पर अनावेदक का कब्जा होने से तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आधिपत्य दिलाये जाने की मांग की। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 7–7–12 में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 3–7–2009 को आदेश पारित किया था, जिसमें रामेश्वर की जमीन पर बसंतीबाई पति बिसन द्वारा खसरा नं0 39/3 एवं 39/4 पर 15 डिसमिल का जबरन कब्जा किया गया था, उसे निरस्त कर कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसे वरिष्ठ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा भी यथावथ रखा गया था। उक्त आदेशों को परिलक्षित एवं आधार मानते हुये रामेश्वर की जमीन खसरा नं0 39/3 एवं 39/4 पर बंसतीबाई द्वारा जबरन 0.15 एकड़ पर अवैध रूप से कब्जा किया उसे हटाये जाने का आदेश दिये गये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदिका द्वारा ग्राम पंधाना में भूमि खसरा क्रं 39/2 एवं 39/5 भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, जिस पर शांतीपूर्ण ढंग से कृषि कार्य करता चला आ रहा है। पूर्व में दिनांक 12–5–2009 को उक्त भूमियों के सीमांकन के संबंध में तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसपर अनावेदक रामेश्वर के भाई शोभाराम की उपस्थिति में दिनांक 21–6–2009 को सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गई, परन्तु अनावेदक द्वारा किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक आपत्ति नहीं की। अनावेदक द्वारा उक्त सीमांकन के विरूद्ध किसी प्रकार कोई अपील नहीं करने से वह अंतिम हो गया है। आवेदिका अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि खसरा क्रं 39/3 रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है, परन्तु उक्त भूमि पर अनावेदक का मौके पर भवन निर्माण होकर कारखाना स्थापित हो चुका है। अतः खसरा नम्बर 39/3 की भूमि को कृषि भूमि मानना धारा 250 की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये, जिसमें मुख्य रूप से आधार उठाया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 39/3 अनावेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है जिसपर आवेदिका द्वारा 0.15 एकड़ भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लेने के कारण, उसके द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुये तहसील न्यायालय ने दिनांक 7–7–12 को आदेश पारित किया और आवेदिका का प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा पाते हुये कब्जा हटाने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसील न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 3–7–2009 को आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन पर आवेदिका का अवैध कब्जा पाया और उसे हटाया जाकर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये गये थे। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश को अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–5–2010 द्वारा यथावित रखा था, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं करने से वह अंतिम हो गया है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा ग्राम पंधाना की भूमि खसरा 39/2 एवं 39/5 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर अनावेदक रामेश्वर द्वारा लिखित एवं मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3–7–09 को आदेश पारित कर खसरा क्रं 39/3 एवं 39/4 पर आवेदिका द्वारा जबरन कब्जा पाये जाने से अनावेदक को कब्जा वापस दिलाये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर खण्डवा के समक्ष निगरानी प्र0क्रं 34/अ–12/08–09 पेश की गई, जो अपर

द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–5–2010 से निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया था। आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया। तहसीलदार के उक्त सीमांकन आदेश के पश्चात अनावेदक रामेश्वर द्वारा तहसील न्यायालय में कब्जा वापस दिलाये जाने बावत धारा 250 का आवेदन पेश किया, जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही की गई है। आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपने आदेश दिनांक दिनांक 7–7–12 को आदेश पारित कर पूर्व आदेश दिनांक 3–7–2009 को हुये सीमांकन आदेश के आधार पर आवेदिका द्वारा किये गये 0.15 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्ज को तत्काल हटाने के आदेश दिये गये है। चूंकि तहसीलदार द्वारा पूर्व सीमांकन के आदेश दिनांक 3–7–2009 के क्रम में ही बेदखली की कार्यवाही की गई है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। यदि आवेदिका उक्त सीमांकन की कार्यवाही से असंतुष्ट थी तो वह अपर कलेक्टर के आदेश के बाद सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकती थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार पंधाना जिला पूर्व निमाड खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–2012 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर